न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद संख्या :– 16/2016

पन्नालाल पुत्र भैरू जी जाति बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूं

वादी

बनाम

1. कंचनबाई पुत्री गोपीलाल बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूं
   हाल मुकाम मोहनलाल बलाई निवासी सत्यातलाई तह0 बेगूं
2. बालीबाई पुत्री भैरू जी बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूं
   हाल मुकाम पत्नी गोकल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
3. बरजीबाई पुत्री भैरू जी बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूं
   हाल मुकाम पत्नी भंवरलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
4. श्री भूमिधारी जी जरिय तहसीलदार साहब ,बेगूं जिला चितौडगढ़
5. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़
6. चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं जरिये शाखा प्रबंधक
   चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 25.11.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि राजपुरा पटवार हल्का मेघपुरा में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात स्थित है जिनका वर्णन निम्न प्रकार है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
220	0.1050
221	0.2830
222	0.0400
233	0.6890
334/220	0.1130
335/221	0.0650
कीता–6 कुल रकबा	1.2950 हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है –

कालू

कजोड		भैरू		
गोपी–गोदपुत्र	पन्ना	बाली	बरजी	प्यारीबाई
कंचनबाई–पुत्री	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पत्नी मृत
प्रति.सं.1	वादीगण			

उक्त पारिवारीक सजरा अनुसार वादीगण के दादा कालु जी हुए जिनके दो पुत्र कमशः कजोड व भैरू हुए है। कजोड के कोई सन्तान नहीं हुई एवं भैरू जी के वादीगण एवं गोपी हुए है। वादीगण के भाई गोपी को स्व. कजोड जी ने उनके कोई सन्तान नही होने गोदपुत्र के रूप में स्वीकार कर गोद लिया इस कारण से कजोड जी की समस्त सम्पत्ति का उपयोग उपभोग गोपी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

द्वारा किया जाता रहा है, गोपी का भी देहान्त दिनांक 25.02.2018 को हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या एक कंचनबाई उसकी एकमात्र संतान होकर पुत्री है। वादीगण की माता प्यारीबाई का भी देहान्त हो चुका है। वादीगण के दादा कालु जी का देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त आराजीयात वादीगण के पिता भैरू एवं कजोड के गोदपुत्र गोपी के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई है। तथा गोपी का भैरू जी के हिस्से में कोई हक निहीत नहीं रहा है।

यह कि वादीगण के पिता भैरू जी की मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की आराजीयात का नामान्तरण संख्या 250 खोला गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा गोपी के कजोड की के गोद चले जाने के कारण भैरू के खाते में उसका कोई हिस्सा नहीं रहने का अंकन करते हुए नामान्तरण केवल वादी पन्ना एवं उसकी बहिनों बाली, बरजी व माता प्यारीबाई के नाम पर दायर किया गया, तथा वादी की बहिनों बाली व बरजी द्वारा वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया जाने से उक्त भूमि में भैरू के स्थान पर वादी एवं उसकी माता का हिस्सा शेष रहा।

यह कि वादी की माता प्यारीबाई का देहान्त हो जाने के पश्चात पटवार हल्का द्वारा प्यारीबाई की विरासत का नामान्तरण संख्या 411 दायर किया गया जिसमें पटवार हल्का द्वारा वादी के साथ साथ उसकी बहिनों बाली व बरजी तथा गोपी के नाम पर भी नामान्तरण दायर कर दिया गया जो गलत है क्यो कि गोपी पूर्व में ही कजोड जी के गोद जा चुका है इसलिए उसका अब वाद वर्णित आराजीयात में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है,इसलिए पटवारी हल्का द्वारा गोपी के नाम पर खोला गया नामान्तरण अपने आप ही गलत है। इसी प्रकार वादी की बहिनों बाली व बरजी द्वारा अपने अपने हिस्से का पूर्व में ही वादी के पक्ष में हक त्याग किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इनके नाम पर दायर किया गया नामान्तरण भी गलत होकर भूमि केवल वादी के नाम पर नामान्तरित होनी चाहिए इसलिए वादी की ओर से उक्त भूमि में उसकी माता प्यारीबाई के निहीत हक हिस्से की अपने नाम पर घोषणा कराने हेतु यह वाद न्यायालय आप के समक्ष पेश किया जा रहा है।

यहकि गोपी गोदपुत्र कजोड का भी देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादीया कंचनबाई उसकी एकमात्र पुत्री है। पटवार हल्का द्वारा वादी की माता की विरासत के खोले गये नामान्तरण के आधार पर भूमि गलत रूप से गोपी के नाम पर दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीया इसे अपने नाम पर नामान्तरित करवा कर विकय करना चाहती है जबकि इस भूमि में प्रतिवादीया कंचनबाई का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण कंचनबाई द्वारा वादी की भूमि का किसी अन्य को विकय कर दिया जाता है तो इससे वादी को भारी आर्थिक एवं कानूनी क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी पूर्ति अर्थ में संभव नहीं होगी तथा वादी को अपनी ही भूमि से महरूम होना पडेगा। इसलिए प्रतिवादी कंचनबाई को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने हेतु भी यह वाद पेश है कि वह वाद वर्णित भूमि को गलत नामान्तरण के जरिये उसके पिता के नाम पर आई है को अपने नाम पर नामान्तरित करवा कर इसे किसी अन्य व्यक्ति को विकय करने का प्रयास न तो स्वयं करें एवं न ही अपने परिवार के किसी सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्यम से करावें।

यह कि दिनांक 03.03.2018 को वादी को प्रतिवादीया कंचनबाई द्वारा भूमि को उसके नाम पर करा कर विकय करने का प्रयास करने की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादीया को ऐसा करने से इन्कार करने का प्रयास करने पर प्रतिवादीया कंचनबाई द्वारा वादी की जमीन को उसके नाम पर करा कर किसी अन्य व्यक्ति को विकय करने की धमकी दी गई इसलिए वादी का यह वाद पेश करना आवश्यक हो जाने से वादी की ओर यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 03.03.2018 को प्रतिवादीया द्वारा वादी को भूमि उसके नाम पर करा कर अन्य व्यक्ति को विकय कर देने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वद वर्णित आराजीयात न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद पत्र न्यायालय आप के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान आप से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि –

(1) यह कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 एक डिक्री फरमाया जाकर वादप.त्र में वर्णित आराजीयात में वादी की माता स्व. प्यारीवाई के निहीत हक हिस्से की घोषणा मृतक गोपी के कजोड जी के गोद चले जाने एवं वादी की बहिनों वाली व बरजी द्वारा पूर्व में वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया जाने के कारण वादी के पक्ष में की जाकर आराजीयात वादी के नाम पर अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

(2) यह कि प्रतवादीया कंचनबाई को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें कि वह वादी की माता के हिस्से की भूमि को गलत रूप से उसके पिता के नाम पर दर्ज हो गई को अपने नाम पर नामान्तरित कराने का एवं किसी अन्य को विक्रय करने का कोई प्रयास न तो स्वयं करें एवं न ही अपने किसी परिवार के अन्य सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्यम से करवावे एवं न ही भूमि का विक्रय न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में सिकी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

(3) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ पक्ष वादी हो वादीगण के पक्ष में प्रदान कराया जावे एवं खर्चा मुकद्मा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने व उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2, 3 व 6 की ओर से अण्डरटैकिंग अधिवक्ता श्री एम. डी.शर्मा द्वारा ली गई थी लेकिन उनकी ओर से कोई अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनका जवाब भी बंद किया गया , साथ ही राज्य सरकार के प्रतिनिधी के रूप उपस्थित भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रकरण की आदेशिका पर अंकित किया है कि पक्षकारो के मध्य का मामला है इसमें कोई राजकीय हित प्रभावति नहीं हो रहा है, अतः जवाब पेश नही करना चाहते है।

वादपत्र में प्रतिवादीगण के द्वारा उपस्थित नहीं आने व जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण में वादी की ओर से एक तरफा साक्ष्य हेतु साक्ष्यशपथ पत्र वादी पन्नालाल पुत्र भैरू बलाई , गवाह काशीराम पिता नन्दा धाकड ,गवाह हरलाल पिता काना धाकड ,भंवरलाल पिता भवाना जी बलाई के प्रस्तुत किए गये, वादी पन्नालाल ने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये मामला एक तरफा होने से जिरह निल रही है। इसी प्रकार गवान भंवरलाल पिता भवाना जी बलाई के बयान भी कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस हो ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि तिपा की मौत पर गोपी का इंतकाल नहीं खुला लेकिन माता की मौत पर इंतकाल खोल दिया। चूँकि गोपी जो कि गोदपुत्र है, एवं कजोड की सम्पत्ति उपभोग कर रहा है तो प्यारी का हिस्सा गोपी को न मिलकर पन्ना को मिलना था। इस प्रकार भूमि में वादी के पक्ष में घोषणा फरमाते हुए दावा स्वीकार फरमावें।

हमारे द्वारा अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुने जाने के उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा बन्दे का राजपुरा प0ह0 मेघपुरा की सम्वत 2070 से 2076 तक की प्रस्तुत की गई है, इस जमाबंदी में वर्णित आराजी संख्या 220, 221, 222, 223, 334/220, 335/221 कीता–6 कुल रकबा 1.2950 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री पन्ना पिता भैरू 1/2 गोपी पन्ना बाली बरजी पिता भैरू 1/2 बलाई सा.देह खातेदार रहन चि.स.भू.वि. बैंक लि. शाखा बेगूँ हि. पन्ना के नाम दर्ज अंकित है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा बंदे का राजपुरा की सम्वत 2069 से 2072 में वर्णित आराजी संख्या 220, 221, 222, 223, 334/220, 335/221 कीता–6 कुल रकबा 1.2950 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारी बेवा भैरू बलाई सा0देह खातेदार रहन चि0स0भू0वि0बैंक लि0 शाखा बेगूँ हि. पन्ना का अंकित होकर जमाबंदी में नोट अंकित है कि इन्तकाल संख्या 411 निर्णय दिनांक 05.11. 2014 विरासत प्यारी फोत से गोपी पन्ना बाली बरजी पिता भैरू 1/2 के नाम दर्ज करने की

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रकृती हुई का नोट अंकित किया हुआ हैं। इस जमाबंदी अनुसार पूर्व में वर्णित आराजी के तन्हा खातेदार पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारी बेवा भैरू बलाई थे लेकिन प्यारीबाई के फोत होने पर विरासत से जो नामान्तरण दायर किया उसमें खातेदार पन्ना के साथ गोपी बाली बरजी पिता भैरू का नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस आराजी है। पत्रावली मे प्रस्तुत प्रदर्श– 4 नकल नामान्तरण संख्या 85 है जो कि विरासत कजोड के फोत होने पर खोला गया है, इसमें आराजी किता 15 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि जो कि पूर्व में कजोड व भैरू पिता कालू बलाई के नाम पर दर्ज थी , कजोड की मृत्यु होने पर इन्तकाल श्री गोपी मुतबन्ना कजोड व भैरू पिता कालू वलाई के नाम पर खोला गया है, इससे स्पष्ट है कि गोपी कजोड का गोदपुत्र होने से आराजी में 1/2 हक से उनको कजोड का वारिस माना है जबकि 1/2 हिस्सा उनके प्राकृतिक पिता भैरू पिता कालू का दर्ज है। प्रदर्श–5 नकल नामान्तरण संख्या 250 प्रस्तुत किया है, यह इन्तकाल विरासत एवं हकत्याग से खोला गया है, मौजा बन्दे का राजपुरा की आराजी कीता–15 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि जो कि श्री गोपी मुतबन्ना कजोड व भैरू पिता कालू बलाई सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी तथा गोपी मुतबन्ना कजोड 3/4 भैरू पिता कालू 1/4 से दर्ज थे वह जरिये विरासत एवं हक त्याग से श्री गोपी मुतबन्ना कजोड व पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारीबाई बेवा भैरू बलाई सा0देह के नाम खोला गया है तथा दूसरी प्रवृष्ठी श्री गोपी मुतबन्ना कजोड 3/4 व पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारी बाई बेवा भैरू 1/4 से दर्ज की गई है। यानि भैरू की विरासत से आराजी उनके पुत्र वादी पन्ना पिता भैरू व उनके पत्नी प्यारी के नाम पर दर्ज की गई है, साथ ही इन्तकाल पर नोट चस्पा किया गया है कि खातेदार भैरू फोत हो चुका है। खातेदार के दो पुत्र व दो पुत्रियां एवं बेवा मौजूद है। जिसमें से एक पुत्र गोपी कजोड के गोद चला गया है एवं दोनो पुत्रियो ने अपना हिस्सा अपने भाई श्री पन्ना के पक्ष में हक त्याग दिया है। अतः नामान्तरण दायर कर अंकित किया है। इस दस्तावेज से वादी का वादपत्र स्पष्ट हो जाता है। प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी मौजा बन्दे का राजपुरा की जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 तक की प्रस्तुत की है, इसमें दर्ज आराजी संख्या 220, 221, 222, 233, 234, 235, 236, 2320, 328/234, 334/220, 335/221 कीता–15 कुल रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री कजोड व भैरू पिता कालु जाति बलाई के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2036 से 2039 प्रदर्श–7 प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी कीता 15 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री कजोड व भैरू पिता कालु जाति बलाई सा0देह खातेदार दर्ज है, जमाबंदी में नोट अंकित किया है कि इन्तकाल संख्या 73 से भैरू का हिस्सा रहन दर्ज व इन्तकाल संख्या 85 विरासत से गोपी मुतबन्ना कजोड व भैरू पिता कालू बलाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित हैं। प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत 2053 से 2056 प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी कीता– 15 रकबा 2.599 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री गोपी मुतबन्ना कजोड व भैरू पिता कालु बलाई सा0देह दर्ज अंकित है। प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत 2057 से 2060 की प्रस्तुत की है जिसमें वर्णित आराजी कीता– 15 रकबा 2.599 हैक्टर भूमि का विभाजन जरिये नामा0सं0 262 निर्णय दिनांक 3.11.2004 डिक्री से खाता विभाजन कर दर्ज किया जिसमें पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारी बेवा भैरू बलाई के नाम पर आराजी संख्या 220, 221, 222, 233, 334/220, 335, 221 कीता–6 कुल रकबा 1.295 हैक्टर भूमि दर्ज की गई तथा श्रीमती सुडीबाई पत्नि स्व0 कजोड बलाई के नाम पर आराजी संख्या 216, 217, 461/234, 215 मी. कीता–4 रकबा 0.438 हैक्टर दर्ज की गई, भोलीबाई पुत्री कजोड पत्नि नानालाल के नाम पर 462/215, 234मी0, 236/3 कीता–3 कुल रकबा 0.437 है0 दर्ज की गई तथा श्री गोपी मु0 कजोड बलाई सा0देह क`नाम पर आराजी संख्या 219, 463/234, 235, 237, 328/234 कीता–5 कुल रकबा 0.429 हैक्टर दर्ज किया है , इसी प्रकार नोट अंकित किया है कि इन्तकाल सं0 250 विरासत से भैरू पिता कालू के बजाय पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारी बेवा भैरू के नाम खाता दर्ज किया गया है। गोपी व पन्ना का हिस्सा सह भू0वि0 बैंक नाम पर रहन होने का नोट अंकित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सं0 2061 से 64 से भी विभाजन का अंकन किया हुआ है।

इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से वादी का वादपत्र स्पष्ट हो जाता है कि मौजा बंदे की राजपुरा की वाद वर्णित आराजी आराजी संख्या 220, 221, 222, 233, 234, 235, 236, 2320, 328/234, 334/220, 335/221 कीता–15 कुल रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री कजोड व भैरू पिता कालु जाति बलाई के खातेदारी में दर्ज थी प्रस्तुत सभी दस्तावेज से व

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अरे से स्पष्ट होता है कि कालू के दो पुत्र थे कजोड व भैरू कजोड के पुत्र नहीं होने से उन्होने भैरू के पुत्र गोपी को अपना गोदपुत्र बनाया जैसा कि प्रस्तुत सभी दस्तावेज में अंकन से स्पष्ट है, तथा भैरू के पुत्र पन्ना , पुत्री वाली व बरजी तथा बेवा प्यारीबाई के नाम पर भैरू की विरासत की भूमि दर्ज की गई। प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श– 5 नकल इन्तकाल सं0 250 अनुसार पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भेरू की दोनो पुत्रियों ने अपना हिस्सा अपने भाई पन्ना के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। वर्णित आराजीयात का विभाजन 1/2 हक से होकर वादी पन्ना पिता भैरू मु0 प्यारी बेवा भैरू बलाई के नाम पर आराजी संख्या 220, 221, 222, 233, 334/220, 335, 221 कीता–6 कुल रकबा 1.295 हैक्टर भूमि दर्ज की गई है, तथा विभाजन से ही गोपी के नाम पर भूमि दर्ज की गई है, जैसा कि प्रदर्श– 9 व प्रदर्श–10 से स्पष्ट है। जब आराजी का विभाजन होकर वाद वर्णित आराजी में पन्नालाल व उनकी माता का नाम अंकित कर दिया तथा पन्ना की बहिनों ने अपना हक अपने भाई पन्ना के नाम पर त्याग कर दिया, ऐसी स्थिती में वादी की माता प्यारीबाई की मृत्यु होने पर जो नामान्तरण संख्या 411 विरासत से खोला गया जिसमें प्यारी फोत से गोपी पन्ना वाली बरजी पिता भैरू 1/2 अंकित किया है जो नियम विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है क्यो कि जब गोपी कजोड जी के गोद चला गया था तो भैरू के वारिसान की सम्पत्ति में उनका कोई हक नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार सभी दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद पत्र सही व स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बन्दे का राजपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजी संख्या 220, 221, 222, 233, 334/220, 335, 221 कीता–6 कुल रकबा 1.295 हैक्टर भूमि का वादी पन्नालाल पुत्र भैरू जाति अबलाई निवासी बन्दे का राजपुरा को तनहा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजीयात का अंकन राजस्व रिकोर्ड में किया जावें, साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के नाम पर दर्ज भूमि को अपने खाते में नामान्तरित न कराने का एवं किसी अन्य को विक्रगय नहीं करने का प्रयास नहीं करें ना ही अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्यम से करवावें साथ ही वादी के शांतिपूर्व कब्जे काश्त एवंव उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 18/2018

पन्नालाल पुत्र भैरू जी जाति बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. कंचनबाई पुत्री गोपीलाल बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
   हाल मुकाम मोहनलाल बलाई निवासी रात्यातलाई तह0 बेगूँ
2. बालीबाई पुत्री भैरू जी बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
   हाल मुकाम पत्नी गोकल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. बरजीबाई पुत्री भैरू जी बलाई निवासी बन्दे का राजपुरा तह0 बेगूँ
   हाल मुकाम पत्नी भंवरलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जी जरिय तहसीलदार साहब ,बेगूँ जिला चितौडगढ़
5. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़
6. चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ जरिये शाखा प्रबंधक
   चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता

श्री .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा .88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 25.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बन्दे का राजपुरा पटवार हल्का मेघपुरा की आराजी संख्या 220, 221, 222, 233, 334/220, 335, 221 कीता–6 कुल रकबा 1.295 हैक्टर भूमि का वादी पन्नालाल पुत्र भैरू जाति अबलाई निवासी बन्दे का राजपुरा को तनहा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजीयात का अंकन राजस्व रिकोर्ड में किया जावें, साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के नाम पर दर्ज भूमि को अपने खाते में नामान्तरित न कराने का एवं किसी अन्य को विकगय नहीं करने का प्रयास नहीं करें ना ही अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर या ऐजेन्ट आदि के माध्यम से करवावें साथ ही वादी के शांतिपूर्व कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 18/2018 व अनवान पन्नालाल बनाम कंचनबाई व अन्य अ.धा. 88–188 आर. टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ